

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल
विश्वविद्यालय
जौनपुर।



पत्रांक:पू0वि0वि0- /सम्ब./03-86 (तीन)/2010/284

दिनांक 17/5/2010

सेवा में,

प्रबन्धक,
जनभारती महाविद्यालय,
डिलियां, तलवल, गाजीपुर।

विषय:-


स्नतकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय में चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-- 22.03.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने श्री बालेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री कुबेर नाथ सिंह जन्म तिथि 05.03.1973 को शासनादेश दिनांक 09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता अंग्रेजी पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा।

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, प्राचार्य/अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेंक द्वारा ही भुगतान किया जाय।

भवदीय,


15.5.2010
कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब/03-86 (तीन)/2010/ 4055
दिनांक: 29/10/10

सेवा में,

प्रबन्धक,
जनभारती महाविद्यालय,
डिलिया, तलवल, गाजीपुर।

विषय : स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत चयनित प्रचार्य एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 06.08.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000 के आलोक में प्राचार्य पद हेतु चयनित अभ्यर्थी के दिनांक 02.07.2012 तक, तथा 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ता पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अस्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	शैक्षिक अर्हता	प्राचार्य
1. श्री रमाकान्त मिश्रा	श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा	03.07.1947	एम.ए. पी. एच.डी.	प्राचार्य
नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	शैक्षिक अर्हता	प्रवक्ता
2. श्री काली वरन	श्री रामलाल राम	20.05.1984	एम.ए. एम.फिल.	प्रवक्ता
3. श्री राकेश सिंह	श्री कुंवर नाथ सिंह	01.05.1978	एम.ए. पी. एच.डी.	प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य एवं अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रीब्यूट प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

29/10/10
प्रबन्धक
जनभारती महाविद्यालय
डिलिया, तलवल-गाजीपुर

भवदीय
29/10/2010
कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर (उ.प्र.)



पत्रांक:पूवि/सम्बद्धता/03-86 (तीन)/2010/3144
दिनांक: 29.6.2010

सेवा में,

प्रबन्धक
जनभारती महाविद्यालय,
डिलियाँ, तलवल, गाजीपुर।

विषय – स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 10.05.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी सस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोंपरान्त कुलपति महोदय ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु अपनी अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि उनके अंकपत्रों/प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	प्रवक्ता
1. श्री प्रमोद कुमार सिंह	श्री रविन्द्र सिंह	16.07.1980	अर्थशास्त्र
2. श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव	श्री शिवकुमार लाल	07.07.1979	गृहविज्ञान
3. डा. भूपेन्द्र कुमार यादव	श्री भोला नाथ	15.07.1978	शिक्षाशास्त्र
4. श्री राममोहन	श्री बाढू राम	01.01.1970	संस्कृत

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र पर अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो प्रबन्धक द्वारा सत्यापित हो, सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउण्टपेयी बैंक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्रॉविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।


प्रबन्धक
जन भारती महाविद्यालय
डिलिया, तलवल-गाजीपुर


भवदीय
कुलसचिव